न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 18/2025 बउनवानी कवंरलाल बैरवा **बनाम** उप पंजीयक सवाईमाधोपुर निवासी इन्द्रधनुष कुण्डेरा बस स्टेण्ड के पास रणथम्भौर रोड़ सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/84

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
27.3.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 27.12.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"फरवरी,2013 में उप पंजीयक कार्यालय सवाईमाधोपुर मे पदस्थापित उप पंजीयक का नाम एवं वर्तमान मे कहाँ पदस्थापित की प्रमाणित सूचना"* उप पंजीयक सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजयीक सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः पंजीयन/दस्तावेज/2025/232 दिनांक 26.3.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2024 मे चाही गयी सूचना उप पंजीयक सवाईमाधोपुर के पत्रांक/प.मु./आरटीआई/2025/11 दिनांक 28.01.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जानें बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.12.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना उप पंजीयक सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 11 दिनांक 28.1.2025 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:10:03 IST
Reason: SelfAttested